

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2285  
23.09.2020 को उत्तर के लिए

**वन आच्छादित क्षेत्रों में कमी**

**2285. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी :**

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को देश में वन आच्छादित क्षेत्र में कमी की जानकारी है जिसके फलस्वरूप जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;
- (ख) यदि हां, तो वन क्षेत्र में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;
- (ग) क्या औषधीय पौधों को उगाने के लिए विशिष्ट वन क्षेत्र विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री  
(श्री बाबुल सुप्रियो)**

(क) देश में वन आच्छादित क्षेत्र में कोई कमी नहीं आई है। नवीनतम भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट (आइएसएफआर) 2019 के अनुसार, देश का कुल वन और वृक्षावरण 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% प्रतिशत है। वर्तमान आकलन दर्शाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व आकलन अर्थात् आइएसएफआर, 2017 की तुलना में 5,188 वर्ग किलोमीटर के वन और वृक्षावरण में वृद्धि हुई है।

(ख) वन आच्छादन में सुधार के लिए, विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें जैसे कि राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और हरित भारत मिशन के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। ये वनीकरण कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रतिपूरक वनीकरण निधि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों/निधियन स्रोतों तथा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों/योजनाओं के अंतर्गत भी किए जाते हैं।

(ग) और (घ) सभी वन प्रकारों में औषधीय पौधे उग सकते हैं। वन संसाधनों के संधारणीय रूप से प्रबंधन, संरक्षण और उपयोगिता और पूरे देश में, वन प्रबंधन योजना में समानता लाने के लिए, राष्ट्रीय कार्यकारी योजना कोड 2014, का उद्देश्य औषधि, झाड़ियों, घासों और बेलों के साथ-साथ वृक्ष, औषधीय और सुगंधित पौधों सहित पूरी वनस्पति की सूची और मानचित्रण बनाने का सुझाव देने के साथ-साथ उन्हें वन संसाधन मूल्यांकन की परिधि के भीतर उन्हें लाना है ताकि स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका योजनाएं प्रभावी रूप से तैयार करने में अंततः मदद मिल सके।

इसके अलावा, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, आयुष मंत्रालय के साथ औषधीय पौधों के संरक्षण, सुरक्षा और उत्पादन से संबंधित मामलों का निराकरण करने के लिए एक परामर्शी प्रक्रिया का पालन भी कर रहा है।

\*\*\*\*\*